

# संचालनालय, आयुष, मध्यप्रदेश

(आधार तल 'डी' विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.dirayush.mp.gov.in

Office (0755) 2571187

Fax (0755) 2760225

क्रमांक / एफ-92 / 2023 / 02 / स्था. / 1297-1334 भोपाल, दिनांक: 27/04/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा इस विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को **यूनानी कम्पाउंडर, पद कोड-15 (तृतीय श्रेणी) के पद पर (सातवे वेतनमान-25300-80500 लेवल-6)** एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 06 में अंकित स्थान पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06
01	23567059	श्री अजीमउशशान, पिता श्री सईद उल्ला खॉन, (OBC) पता:- मकान न. 490, ग्राम ललरिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल	UR/NIL/OPEN	76.53	शासकीय यूनानी औषधालय, लालरिया, जिला भोपाल
02	23567124	श्री खालिद खॉन, पिता अब्दुल मुजिम, पता- मकान नं. 241 सोनिया कॉलोनी, ऐशबाग, जिला भोपाल	UR/NIL/OPEN	72.44	शासकीय यूनानी फार्मसी, जिला भोपाल
03	23567018	श्री उवेस खॉन, पिता श्री अब्दुल वहीद खॉन (EWS) पता- मकान नं. 242, स्कूल चौराह, मस्जिद सुल्तानिया के पास, ललरिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल	UR/NIL/OPEN	68.36	शासकीय यूनानी औषधालय, काजीकेम्प, जिला भोपाल
04	23567128	शीरीन जहाँ, पिता रफीक अहमद(OBC) पता- ग्राम व पोस्ट, ललरिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल	UR/NIL/OPEN	67.34	शासकीय यूनानी फार्मसी, जिला भोपाल
05	23567014	श्री मुर्करम मिर्जा, पिता श्री मेहफूज मिर्जा (OBC) पता:- वार्ड क्रमांक-15 जामा मस्जिद के पास, इछावर, जिला सीहोर	UR/NIL/OPEN	66.32	शासकीय यूनानी औषधालय, शाहजॉहानाबाद, भोपाल
06	23567036	शाहीन बानों, पिता मोहम्मद आकिल (OBC) पता:- मकान न.-2, डॉ. अंसारी मार्ग, जयस्तम्भ वार्ड क्रमांक 34, जिला बुरहानपुर	UR/NIL/OPEN	64.28	शासकीय यूनानी औषधालय, आलमगंज, जिला बुरहानपुर
07	23567070	मोहम्मद शाहिद, पिता मोहम्मद सईद खॉन, (OBC) पता:- वार्ड न.09, नई तहसील के पीछे, सुभाष नगर कालोनी, तहसील व जिला रायसेन	OBC/NIL/OPEN	64.28	शासकीय यूनानी औषधालय, छावनी, जिला भोपाल

02....

8

क्र.	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06
08	23567111	श्री मोहम्मद सलमान खॉन, पिता मोहम्मद रफीक खॉन, (OBC) पता:- तलैया महौल्ला, कस्बा सीहोर तहसील व जिला सीहोर	OBC/NIL/OPEN	62.24	शासकीय यूनानी औषधालय, सीहोर, जिला सीहोर
09	23567060	श्री मोहम्मद आबिद खॉन, पिता शाहबाज खॉन (OBC) पता:- बी-7 राजीव कालोनी, हाउसिंग बोर्ड, वार्ड क्र.78 करोद, जिला भोपाल	OBC/NIL/OPEN	62.24	पं. उद्धवदास मेहता स्मृति शासकीय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साल, जिला भोपाल
10	23567028	मोहम्मद इमरान, पिता मोहम्मद दार्ईम खॉन (OBC) पता- 238 बागमुफ्ती, शॉहजहानाबाद, अलजामिया मस्जिद के पास, जिला भोपाल	OBC/NIL/OPEN	61.22	शासकीय यूनानी औषधालय, दीवानगंज, जिला रायसेन
11	23567072	मोहम्मद अतहर अंसारी, पिता ताहिर मोहम्मद (OBC) पता- मकान नं-1, गली नं-1, इस्लामी गेट, शाहजहॉनाबाद, जिला भोपाल	OBC/NIL/OPEN	60.2	शासकीय यूनानी औषधालय, पिपल्यामीरा, जिला सीहोर
12	23567096	सलीना बानों, पिता मोहम्मद अशफाक पठान, पता- वार्ड नं. 06, शैलानीपुरा, मेघनगर, जिला झाबुआ	UR/NIL/FEMALE	59.18	शासकीय यूनानी औषधालय, उज्जैन, जिला उज्जैन
13	23567026	नाहिद रफी, पत्नि श्री रफी उश शान, पता- मकान नं. 490 ग्राम व पोस्ट, ललरिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल	UR/NIL/FEMALE	58.16	शासकीय यूनानी औषधालय, सलामतपुर, जिला रायसेन
14	23567016	श्री करीमउल्ला खॉ, पिता मशकूर उल्ला खॉ (OBC) पता- ग्राम व पोस्ट, ललरिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल	OBC/NIL/OPEN	57.14	शासकीय यूनानी औषधालय, इछावर, जिला सीहोर
15	23567054	श्रीमति गुलअफशा, पत्नि श्री असद खॉन, पिता-मकान नं-31, रिसालदार कालोनी, छोला रोड, भोपाल	UR/NIL/FEMALE	51.02	शासकीय यूनानी औषधालय, औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन
16	23567079	श्री आजम खॉन, पिता मतीन खॉन (EWS) पता- 48 ग्राम चंदनखेड़ी, ललरिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल	EWS/NIL/OPEN	48.97	शासकीय यूनानी औषधालय, अहमदपुर, जिला सीहोर



**उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-**

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने पर 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रुपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

13. नियुक्त कर्मचारी का वरिष्ठताक्रम नियमानुसार रहेगा।
14. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
15. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
16. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
17. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
18. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
19. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।


  
(सोनाली पोक्षे वायंगणकर)  
आयुक्त

संचालनालय, आयुष

पृ.क./एफ-92/2023/02/स्था./1297-1334 भोपाल, दिनांक: 27/04/2023

**प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

01. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आयुष म.प्र. शासन।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
03. कलेक्टर जिला.....।
04. संभागीय आयुष अधिकारी.....।
05. जिला कोषालय अधिकारी.....।
06. जिला आयुष अधिकारी.....।
07. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त आयुष संचालनालय।
08. संबंधित श्री .....।
09. आदेश नस्ती।

  
आयुक्त  
संचालनालय, आयुष